


न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)



- R-2138-II/12
- 1- केदार प्रसाद तनय सुदर्शन प्रसाद ब्रा0
  - 2- शिवनारायण पाण्डेय तनय सुदर्शन प्रसाद ब्रा0

(दिनो निवासी ग्राम कठार, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

अधिलेखा श्री सिद्धांत  
पाठक द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दि. 11-06-2012

निगराकारगण

नाम

मोहनलाल मृत जरिए वारिसान

- Amul  
11.6.12
- 11- वेवा राजवती तिवारी पत्नी स्व0 मोहनलाल तिवारी
  - 12- धीरेन्द्र तिवारी तनय स्व0 मोहनलाल तिवारी
  - 13- बीरेन्द्र तिवारी तनय स्व0 मोहनलाल तिवारी
  - 14- नीलेश तिवारी तनय स्व0 मोहनलाल तिवारी
  - 15- तुलेश तिवारी तनय स्व0 मोहनलाल तिवारी
  - 16- भैयालाल तनय स्व0 रामप्रताप
  - 17- जगदीश तनय समरजीत
  - 8- वेवा रामसुन्दर विधवा पत्नी स्व0 रामसुन्दर
  - 9- पिन्दू तनय स्व0 रामसुन्दर
  - 10- अम्बू तनय स्व0 रामसुन्दर
  - 11- राजा तनय स्व0 रामसुन्दर, उम्र 12 वर्ष नाबालिक जरिए बली माँ वेवा रामसुन्दर
  - 12- बलिकरण तनय समरजीत
  - 13- राजललन तनय समरजीत

सभी निवासी ग्राम कठार, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय  
अधिकारी महोदय हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा


*[Handwritten Signature]*

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 2138 - दो/12..... जिला रीवा

..... केदार प्रसाद यादव..... विरुद्ध मोहनलाल हिवाड़ी (पुत्रक) व अन्य

1	2	3
<p>19-12-18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>सिद्धार्थ पाठक</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>इजरा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>101/376/अपील/2005-06</u> में पारित आदेश दिनांक <u>21-8-12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-3-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	